FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0237 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/08/2026 13:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 07/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 19/08/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:02 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/08/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/08/2026 13:39:10 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 400 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARAYALY KRSHI UPAJ MANDI SAMITI/ANAJ, UDAIPUR PARISAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** HARSHIT AGARWAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHANDRAPRAKASH AGARWAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	27 A, DHULKOT CHAURAHA, BOHARA GANESH JI,UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	27 A, DHULKOT CHAURAHA, BOHARA GANESH JI,UDAIPUR, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MANOHARLAL SHARMA		पिता:PRATAPMAL SHARMA	1. 1 T 15,RAJKIYA BALIKA MADHYAMIK VIDYALAY KE PEECHHE,SECTOT 05,HIRANMAGARI,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		24,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 24,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सम्पूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2026 को परिवादी श्री हर्षित अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 27-ए, धूलकोट चौराहा, बोहरा गणेशजी, उदयपुर ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित हो श्री अनन्त कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि "मैं हर्षित अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल उम्र 31 वर्ष निवासी मकान नम्बर 27-ए, धूलकोट चौराहा, बोहरा गणेशजी, उदयपुर का रहने वाला हू। मेरे पिताजी का लगभग 45 वर्षो से धानमण्डी, उदयपुर में आटा चक्की का व्यवसाय है। मैं वर्ष 2017 से जीबी एग्रो इण्डस्ट्रीज के नाम से कलडवास, उदयपुर में आटा मिल का संचालन कर रहा हू। मैं कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के व्यापारियों और बाहर के अन्य व्यापारियों के माध्यम से गेहूं क्रय करता हूं और मेरी आटा मिल में पिसवाकर जीबी गोल्ड ब्रॉण्ड के नाम से बाजार में विक्रय करता हूं। मेरा कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर का कृषि उपज के व्यवसाय का लाईसेन्स बना हुआ है जिसके लाईसेन्स नम्बर 2217 दिनांक 22.12.2021 हैं। मेरे द्वारा वैध रूप से मण्डी एवं अन्य स्थानों से गेहूं की खरीद की जाती है। परन्तु मार्च 2026 से श्री मनोहरलाल, कार्मिक, कार्यालय कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर द्वारा मण्डी के एवं बाहर के मुझसे जुडे हुए व्यापारियों के गेहूं के टेªक्टरों को रोककर चैकिंग के नाम पर उसी समय बिल प्रस्तुत करने का दबाव बनाकर बिल प्रस्तुत नहीं करने पर हाथों हाथ उनके तीन-तीन हजार रूपयों के चालान बनाने शुरू कर दिये जिससे मेरा एवं अन्य व्यापारियों का कारोबार प्रभावित होना शुरू हो गया। जिन व्यापारियों के चालान बनाये गये, वह मुझसे व्यापार करने से भी कतराने लगे। इस पर मैं अन्य व्यापारियों की सलाह पर श्री मनोहरलाल से मिला। कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के व्यापारियों और बाहर के अन्य व्यापारियों के माध्यम से मेरे द्वारा क्रय किये गये गेहूं के बिल सचिव, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी मेरा है। मैंने उन्हें मेरे द्वारा समय-समय पर क्रय किये गये गेहूं के बिलों की प्रति भी उपलब्ध करवायी। परन्तु इसके उपरान्त भी मेरे साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के ट्रैक्टरों को चैक नहीं करने और उनके चालान नहीं बनाने तथा मेरे द्वारा क्रय किये गये गेहूं के बिलों की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करवाने पर मेरे विरूद्ध राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियमों के अन्तर्गत पैनल्टी नहीं लगाने के नाम पर श्री मनोहरलाल द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के नाम पर मुझसे प्रतिमाह के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई। इस सम्बन्ध में मैंने अप्रेल 2026 के पहले हफ्ते में श्री मदन गुर्जर, सचिव, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर को भी उनके कार्यालय में जाकर बताया परन्तु मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी दिन मैंने श्री मनोहरलाल से रिश्वत की राशि के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने मुझसे भाव-तौल कर पिछले एक वर्ष के लिए कुल 65,000/- रूपयों की रिश्वत के रूप में मांग की। इस पर श्री मनोहरलाल द्वारा मुझसे प्रतिमाह के हिसाब से रिश्वत की मांग के लिए परेशान करने पर, निरन्तर दबाव बनाये जाने पर और मेरा व्यापार प्रभावित होने के डर से मैंने श्री मनोहरलाल को माह अप्रेल 2025 से माह मार्च 2026 तक की अवधि के कुल 65,000/-रूपयों की रिश्वत की नकद राशि अपने घर से लाकर कृषि उपज मण्डी में उनके कार्यालय के पीछे बने हनुमान जी के मंदिर के बाहर जाकर दे दी। परन्तु पिछले कुछ समय से श्री मनोहरलाल द्वारा मेरी मिल पर आकर और मुझे फोन कर माह अप्रेल 2026 से जुलाई 2026 तक के 04 माह के लिए श्री मदन गुर्जर, सचिव, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के नाम पर फिर से निरन्तर रिश्वत की मांग की जा रही है जबकि श्री मदन गुर्जर, सचिव, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर का कुछ समय पूर्व कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर से फल एवं सब्जी मण्डी, सवीना, उदयपुर में स्थानान्तरण हो गया है। दिनांक 31.07.2026 को श्री मनोहरलाल द्वारा मुझे कॉल कर रिश्वत राशि लेकर कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर बुलाया था परन्तु मैं कृषि उपज मण्डी जाकर श्री मनोहरलाल से नहीं मिला। आज दिनांक 07.08.2026 को भी श्री मनोहरलाल ने श्री मुकेश सियाल जिनकी कृषि उपज मण्डी में किराणे की दुकान है, के मोबाइल से मुझे कॉल किया जिसे मैंने रिसीव नहीं किया। इसके बाद मेरे हम्माल श्री सुनील अग्रवाल ने श्री मुकेश सियाल को फोन किया तो श्री मुकेश ने फोन पास बैठे श्री मनोहरलाल को पकडा दिया। श्री मनोहरलाल ने मेरे हम्माल श्री सुनील अग्रवाल को दबाव देकर कहा कि तुम्हारे सेठजी को मुझसे मिलने के लिए ऑफिस भेज देना। मेरी श्री मनोहरलाल, कार्मिक, कार्यालय सचिव, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर से कोई व्यक्तिगत रंजिश नही है एवं न ही हमारा कोई आपस का उधार अथवा लेनदेन बकाया है। मैं श्री मनोहरलाल को मेरे साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के ट्रैक्टरों को चैक नहीं करने और उनके चालान नहीं बनाने तथा मेरे द्वारा क्रय किये गये गेहूं के बिलों की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराने पर मेरे विरूद्ध राजस्थान

कृषि उपज मण्डी नियमों के अन्तर्गत पैनल्टी नहीं लगाने के नाम पर रिश्वत की राशि नहीं देना चाहता हॅू और इन्हें रंगे हाथों पकडवाना चाहता हॅू। मेरी शिकायत के सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का श्रम करें।''

परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत के सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया गया। कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर में उपस्थित श्री चंचल कुमार कानि चालक का परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। श्री चंचल कुमार कानि चालक से कार्यालय से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं एक नया मेमोरी कार्ड मंगवाकर लैपटॉप की सहायता से मेमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित करने के उपरान्त मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में इन्सर्ट करवाया गया। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझायी गयी। तत्पश्चात परिवादी के साथ उसके निजी वाहन से श्री चंचल कुमार कानि चालक को आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा से रिश्वत मांग वार्ता के सत्यापन हेतु कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर के लिए भिजवाया गया तो रास्ते में ही आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा ने उसके मोबाइल से परिवादी के मोबाइल पर कॉल कर कहा कि आप पधारे नहीं, जिस पर परिवादी द्वारा अभी कुछ ही देर में मण्डी आकर मिलने के लिए बताया।'' परिवादी द्वारा उक्त वार्तालाप को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। वार्ता के उपरान्त परिवादी एवं श्री चंचल कुमार कानि चालक कृषि उपज मण्डी, उदयपुर पहुंच श्री चंचल कुमार कानि चालक ने परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर के लिए रवाना किया। श्री चंचल कुमार कानि चालक कार्यालय के आसपास ही परिवादी के आने के इंतजार में रहा। परिवादी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर अपने पास सुरक्षित छिपाते हुए आरोपी श्री मनोहरलाल को कॉल कर उसके ऑफिस के बाहर मिला तो आरोपी श्री मनोहरलाल जी ने परिवादी से उसकी फर्म जीबी एग्रो इण्डस्ट्रीज, कलडवास, उदयपुर में गेहूं की खरीद हेतु उसके साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के ट्रैक्टरों को चैक नहीं करने और उनके चालान नहीं बनाने तथा परिवादी द्वारा क्रय किये गये गेहूं के बिलों की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियमों के अन्तर्गत पैनल्टी नहीं लगाने के नाम पर माह अप्रेल 2026 से जुलाई 2026 तक 04 महिने के 5-5 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 20,000/-रूपये अपने पूर्व सचिव श्री मदन गुर्जर के नाम पर तथा स्वयं के लिए 1-1 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 4,000/-रूपये, इस प्रकार कुल 24,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की। वार्ता में परिवादी ने आरोपी श्री मनोहरलाल को उक्त रिश्वत राशि एक दो दिन में लेकर आने का भरोसा दिलाया। परिवादी एवं आरोपी के मध्य आमने-सामने हुई वार्तालाप को परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। वार्ता होने के उपरान्त परिवादी एवं श्री चंचल कुमार कानि चालक दोनो कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पहुंच मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तो आरोपी श्री मनोहरलाल के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग की पुष्टि होने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर के नाम तेहरीर जारी कर ट्रैप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। जिसके क्रम में श्री प्रवीण कुमार झा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री फिरोज हुसैन, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उदयपुर उपस्थित हुए। जिनसे परिचय उपरान्त ब्यूरो द्वारा की जा रही ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान उपस्थित रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्पूर्ण हालात से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 07.08.2026 को परिवादी एवं आरोपी श्री मनोहरलाल के मध्य हुई मोबाइल वार्ता एवं आमने-सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में संरक्षित होने से परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में बारी-बारी से चलाकर पृथक-पृथक फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। जिसके उपरान्त परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को रूखसत दी गई।

दिनांक 11.08.2026 को परिवादी श्री हर्षित अग्रवाल, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित हुआ। परिवादी एवं आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा के मध्य आमने सामने हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.08.2026 में आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग अपने स्वयं के लिए तथा पूर्व सचिव श्री मदन गुर्जर के नाम पर की जाने से श्री मदन गुर्जर, पूर्व सचिव, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), सवीना, उदयपुर हाल सचिव, कार्यालय फल एवं सब्जी मण्डी समिति, सवीना, उदयपुर से रिश्वत मांग की सत्यता जानने हेतु परिवादी के साथ उसके निजी वाहन से श्री चंचल कुमार कानि चालक को मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के कार्यालय फल एवं सब्जी मण्डी समिति, सवीना, उदयपुर भिजवाया गया। जहां परिवादी द्वारा श्री मदन गुर्जर के बारे में जानकारी ली गई तो कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), सवीना, उदयपुर पर जाना ज्ञात हुआ। जिस पर परिवादी एवं श्री चंचल कुमार कानि चालक कृषि उपज मण्डी, उदयपुर पहुंच श्री चंचल कुमार कानि चालक ने परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर के लिए रवाना किया। श्री चंचल कुमार कानि चालक कार्यालय के आसपास ही परिवादी के आने के इंतजार में रहा। परिवादी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑन कर अपने पास सुरक्षित छिपाते हुए कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर पर मौजूद श्री मदन गुर्जर से मिला। परिवादी ने श्री मदन गुर्जर को कहा कि मनोहर जी परेशान कर रहे है। जिस पर श्री मदन गुर्जर के द्वारा परिवादी को कहा कि क्या बोल रहा है। परिवादी ने कहा कि पैसे वैसे बोल रहे हैं कि पहले के पैसे बाकी है, मैंने कहा कि अभी तो दिये मैंने कहा, अब वापिस पैसे की मांग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वापिस 24,000

रूपये मांग रहे हैं, मैंने कहा। जिसके बाद इस सम्बन्ध में श्री मदन गुर्जर ने रिश्वत मांग के सम्बन्ध में कोई वार्ता नहीं कर मौके से चले गये। परिवादी ने श्री मदन गुर्जर से हुई वार्तालाप को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया। वार्ता के उपरान्त परिवादी एवं श्री चंचल कुमार कानि चालक दोनो कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर पहुंच मन पुलिस निरीक्षक को हालात से अवगत करवाया गया। रिकॉर्ड वार्ता एवं परिवादी द्वारा बताये गये हालात से श्री मदन गुर्जर द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग की पुष्टि नहीं हुई। पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान की तलबी की जाकर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 11.08.2026 की रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। आरोपी श्री मनोहरलाल द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की जा रही 24,000/-रूपयों की शीघ्र व्यवस्था कर लाने की हिदायत दी गयी । परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को रूखसत दी गयी। दिनांक 19.08.2026 को समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री हर्षित अग्रवाल आरोपी श्री मनोहरलाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 24,000/-रूपयों की व्यवस्था कर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर पर उपस्थित हुआ। अग्रिम ट्रैप कार्यवाही के क्रम में स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गई। जिस पर स्वतंत्र गवाहान श्री प्रवीण कुमार झा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री फिरोज हुसैन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित हुए। जिनके समक्ष ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 48 नोट कुल राशि 24,000/-रूपये (चौबीस हजार रूपये) भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। परिवादी द्वारा पेश नोटों पर श्री अशोक कुमार कानि, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की पहनी हुई पेंट की आगे की बायी जेब की तलाशी लिवायी जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री फिरोज हुसैन से रखवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई। आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि ग्रहण किये जाने की स्थिति में रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति का ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक को मिस कॉल करने का ईशारा परिवादी को बताया गया। निर्धारित ईशारे से स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम को भी अवगत करवाया। रिश्वत राशि के लेनदेन के वक्त होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाले चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाये गये। समय करीब 01.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को श्री चंचल कुमार कानि. चालक के साथ परिवादी के निजी वाहन कार से कृषि उपज मंडी, सवीना के बाहर उपस्थित मिलने की हिदायत कर आगे रवाना कर पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, विक्रम पण्डया हैड कानि, श्री गुलाबसिंह हैड कानि. मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादि संसाधन के स्वयं के निजी वाहन से ब्यूरो इकाई उदयपुर से रवाना हो कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), सवीना, उदयपुर पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने निजी वाहन को कृषि उपज मण्डी के पीछे स्थित हनुमान मंदिर के पास एक ओर साईड में खडी कर उपस्थितिन के समक्ष ही डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू करा परिवादी के मोबाइल से आरोपी श्री मनोहरलाल के मोबाइल पर कॉल कराया लेकिन आरोपी ने कॉल रिसीव नहीं किया। जिसके बाद समय करीब 1.53 पीएम पर पुनः कॉल करवाया गया तो आरोपी श्री मनोहरलाल द्वारा अपने ऑफिस में ही होना बताकर परिवादी को ऑफिस की तरफ ही बुलाया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा समय करीब 1.57 पीएम पर परिवादी को रिश्वत लेनदेन हेतु ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर वक्त लेनदेन होने वाली वार्ता रिकॉर्ड करने की हिदायत के रवाना कार्यालय कृषि उपज मण्डी, सवीना की ओर किया। मन पुलिस निरीक्षक मय स्तवंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उदयपुर के आसपास परिवादी के रिश्वती राशि स्वीकारोक्ति के निर्धारित ईशारे के इंतजार में अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाये मौजूद रहे। इसी दौरान परिवादी एवं आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा कार्यालय कृषि उपज मण्डी के बाहर निकल पैदल-पैदल हनुमान मन्दिर के सामने की तरफ परिवादी की कार के पास आये। जहां दोनो ने कुछ मिनिट वार्ता की। इसी दौरान परिवादी ने अपनी जेब से रिश्वती राशि निकालकर श्री मनोहरलाल शर्मा को दी। जिसे मन पुलिस निरीक्षक एवं हमराहीयान द्वारा देखा। जिसके बाद ही समय करीब 02.02 पीएम पर परिवादी ने अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईशारा किया गया। निर्धारित ईशारा पाकर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाप्ता तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। जिसे बन्द कर अपने पास रखा एवं परिवादी ने उपस्थितिन के समक्ष ही अपने पास खडे श्री मनोहरलाल शर्मा की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही मनोहरलाल जी, कार्मिक है जिन्होंने अभी-अभी मुझसे मेरी फर्म जीबी एग्रो इण्डस्ट्रीज, कलडवास, उदयपुर में गेहूं की खरीद हेतु मेरे साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के टेªक्टरों को चैक नहीं करने और उनके चालान नहीं बनाने तथा परिवादी द्वारा क्रय किये गये गेहूं के बिलों की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करवाने पर परिवादी के विरूद्ध राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियमों के अन्तर्गत पैनल्टी नहीं लगाने के नाम पर श्री मनोहरलाल द्वारा स्वयं के लिए 4,000/-रूपये तथा पूर्व सचिव श्री मदन गुर्जर के नाम पर 20,000/-रूपये की कुल 24,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अपनी मांग अनुसार परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण कर

दोनो हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोहरलाल शर्मा को अपना तथा हमराहीयान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत करा उससे अपना नाम पता पूछा तो उन्होंने उनका नाम श्री मनोहरलाल शर्मा पुत्र श्री प्रतापमल शर्मा निवासी सेवको की गली, राजमहल के पास, बडीसादडी जिला चितौडगढ हाल निवास मकान नम्बर 01 ट 15, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के पीछे, सेक्टर नम्बर 05, हिरणमगरी, उदयपुर सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर हाल संविदाकर्मी होना बताया था। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री मनोहरलाल, सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, हाल संविदाकर्मी से परिवादी से ग्रहण की गयी रिश्वती राशि 24,000/-रूपये किस बात के लिए ग्रहण किये, के बारे में पूछा गया तो श्री मनोहरलाल हाथ गिडगिडाने लगा और कहने लगा कि साहब गलती हो गई। आईन्दा ऐसी गलती नहीं होगी मुझे माफ कर दो, यह कहकर जोर जोर से रोने लगा। जहां पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री मनोहरलाल की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री फिरोज हुसैन से लिवायी गई तो पेंट की दाहिनी जेब से 500-500 रूपये के 48 नोट मिले। जिन्हें दोनो गवाहान से गिनवाये गये तो कुछ 24,000/-रूपये होना बताया। जिसे श्री फिरोज हुसैन के पास ही सुरक्षित रखवाये गये। मौके पर काफी भीड-भाड एकत्र हो गई। जिस पर सुरक्षा के दृष्टिगत मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो जाप्ते की निगरानी में श्री मनोहरलाल को साथ ले ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पहुंचे। जहां पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैड कानि. से ट्रैप बॉक्स मंगवाकर उसमें से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी श्री गुलाबसिंह, हैड कानि. से भरवाया जाकर दोनो गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा, सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, हाल संविदाकर्मी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवन का मिश्रण गुलाबी हुआ जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट करा मार्क RH 1 व RH 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा, सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, हाल संविदाकर्मी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट कर मार्क LH 1 व LH 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण कर अपनी पेंट की आगे की दाहिनी जेब में रखने से उक्त पेंट की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी की पहनी हुई पेंट बरंग कथई कलर को ससम्मान उतरवायी जाकर लोवर को पहनाया गया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री गुलाबसिंह हैड कानि. 121 से ट्रैप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में कार्यालय के पीने युक्त पानी के केम्पर से साफ पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास में श्री गुलाबसिंह हैड कानि. 121 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा, सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, हाल संविदाकर्मी की उक्त पेंट की आगे की दाहिनी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थितिन को दिखाया गया तो गुलाबी रंग होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर शीशियों को सिल-चिट कर मार्क P 1 व P 2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शीशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। कार्यवाही में प्रयुक्त किये गये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी की पेंट को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सिलचिट कर मार्क P अंकित किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री फिरोज हुसैन के पास सुरक्षित रखवायी हुई रिश्वती राशि 24,000/-रूपये को निकलवा कर नोटों पर अंकित नम्बरों का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहू हुआ जिनके नम्बर निम्नानुसार पाये गये -

1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4WR 105309
2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1VQ 006690
3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2GK 196911
4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BP 057867
5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6MF 218461
6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3EK 139801
7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7CA 125473
8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8SN 396368
9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9LA 765275
10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2HK 850318

11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8KH 864675
12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3UW 246765
13 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1TP 880659
14 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1HA 681024
15 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2PL 798410
16 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7KR 530956
17 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6AC 395347
18 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8CG 724108
19 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9KR 930637
20 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0PB 739482
21 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6FR 376741
22 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1TS 100701
23 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9AG 993918
24 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7AP 694714
25 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4EH 458502
26 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6NN 173602
27 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6LL 360119
28 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6MU 701507
29 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0NC 756991
30 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4HP 999057
31 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7KP 347393
32 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2RM 186228
33 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6ES 527881
34 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0CV 952382
35 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3RA 298635
36 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9PS 890405
37 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3BD 291445
38 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1CS 939381
39 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5RV 335817
40 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9UQ 141224
41 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DP 144184
42 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6GQ 762279
43 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3GP 039236
44 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7LC 776279
45 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3BL 070884
46 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7VL 310664
47 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4DE 532959
48 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0EG 841666

उपरोक्त नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट किया गया। तत्पश्चात दिनांक 19.08.2026 को परिवादी श्री हर्षित अग्रवाल एवं आरोपी श्री मनोहरलाल के मध्य हुई मोबाइल वार्तालाप एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्तालाप जो कि डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में संरक्षित होने से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी एवं आरोपी की उपस्थिति में बारी-बारी से चलाकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। तत्पश्चात आरोपी श्री मनोहरलाल के संविदाकर्मी के रूप में कार्यरत होने सम्बन्धी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां सचिव, कृषि उप मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर से प्राप्त की गई। परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत मांग एवं लेनदेन के सम्बन्ध में हुई वार्तायें जो कि ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में संरक्षित होने से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर वार्ताओं के अंश को बारी बारी से चलाकर श्री अरूण सिंह, सचिव, कृषि उप मण्डी, सवीना, उदयपुर को सुनाया गया तो श्री अरूण सिंह, सचिव, कृषि उप मण्डी, सवीना, उदयपुर ने उक्त रिकॉर्ड वार्ताआं में एक आवाज श्री मनोहरलाल शर्मा, सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक हाल संविदाकर्मी की होना पहचान की गई। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र

गवाहान की उपस्थिति में ट्रैप कार्यवाही के दौरान वजह सबूत आर्टिकल की जब्ती की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक से सरकारी मोबाईल सेमसंग में लगे मेमोरी कार्ड से करवाई गई है। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में उक्त सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मूल मेमोरी कार्ड को सरकारी मोबाईल से निकलवाकर मेमोरी कार्ड को कार्ड रीडर के माध्यम से सरकारी लैपटॉप से श्री लक्ष्मणसिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा कनेक्ट करवा मेमोरी कार्ड में मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग को 03 नये पेनड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी करवाया जाकर 01 पेनड्राईव में संरक्षित रिकॉर्डिंग की हैशवेल्यू निकाली गयी। 01 पैनड्राईव को पेनड्राईव कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. 121 से सीलचिट करवाकर मार्क VP अंकित किया गया। तत्पश्चात सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित वीडियो रिकार्डिंग की हैशवेल्यू निकाली गयी। ब्यूरो के सरकारी मोबाईल सेमसंग में प्रयुक्त मूल मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में रख एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क VM अंकित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रैप कार्यवाही के दौरान परिवादी एवं आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा, सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक हाल संविदाकर्मी, कार्यालय कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन, मोबाइल वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन के सम्बन्ध में हुई वार्तायें, जिनको ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित किया गया है। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री लक्ष्मण सिंह, कनिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के लैपटॉप से कनेक्ट कर मेमोरी कॉर्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 03 नये पेनड्राईव में पृथक-पृथक कॉपी करवायी जाकर 01 पेनडाईव में संरक्षित वार्ता की लैपटॉप में इनस्टॉल सॉफ्टवेयर से हैशवेल्यू निकाली गयी। 01 पैनड्राईव को पेनड्राईव कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली को श्री गुलाब सिंह हैड कानि. से सीलचिट करवाकर मार्क MP अंकित किया गया। तत्पश्चात ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड में संरक्षित वार्ताओं की हैशवेल्यू निकाली गयी। ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में रख एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क M अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी को स्पष्टीकरण एवं आवाज नमूना के सम्बन्ध में पत्र जारी किये तो आरोपी ने स्पष्टीकरण एवं आवाज का नमूना नहीं देना अंकित किया। सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा के विरूद्ध धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही, परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत, ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तायें एवं मुर्तिब समस्त फर्दात से पाया गया है कि आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा, सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, हाल संविदाकर्मी, कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर द्वारा अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री हर्षित अग्रवाल से अवैध परितोषण प्राप्त करने की नियत से परिवादी से उसकी फर्म जीबी एग्रो इण्डस्ट्रीज, कलडवास, उदयपुर में गेहूं की खरीद हेतु उसके साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों के ट्रैक्टरों को चैक नहीं करने और उनके चालान नहीं बनाने तथा परिवादी द्वारा क्रय किये गये गेहूं के बिलों की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियमों के अन्तर्गत पैनल्टी नहीं लगाने के नाम पर माह अप्रेल 2026 से जुलाई 2026 तक 04 महिने के 5-5 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 20,000/-रूपये अपने पूर्व सचिव श्री मदन गुर्जर के नाम पर तथा स्वयं के लिए 1-1 हजार रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 4,000/-रूपये, इस प्रकार कुल 24,000/-रूपये मासिक बंधी के रूप में रिश्वत राशि की मांग करते हुए दिनांक 19.08.2026 को आरोपी द्वारा अपने कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर स्थित परिसर में हनुमान मन्दिर के सामने एक ओर साईड में ले जाकर परिवादी से अपनी मांग अनुसार कुल 24,000/-रूपये रिश्वती राशि मांगकर ग्रहण किये, जो धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा पुत्र श्री प्रतापमल शर्मा उम्र 64 वर्ष निवासी सेवको की गली, राजमहल के पास, बडीसादडी जिला चितौडगढ हाल निवास मकान नम्बर 01 ट 15, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के पीछे, सेक्टर नम्बर 05, हिरणमगरी, उदयपुर सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, हाल संविदाकर्मी, कार्यालय कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं। भवदीय,(रामसुमेर मीणा),पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामसुमेर मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, उदयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मनोहरलाल शर्मा पुत्र श्री प्रतापमल शर्मा उम्र 64 वर्ष निवासी सेवको की गली, राजमहल के पास, बडीसादडी जिला चितौडगढ हाल निवास मकान नम्बर 01 ट 15, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के पीछे, सेक्टर नम्बर 05, हिरणमगरी, उदयपुर सेवानिवृत कनिष्ठ लिपिक, हाल संविदाकर्मी, कार्यालय कृषि उपज मण्डी, सवीना, उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी.,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 377 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक1375-78 दिनांक 23.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम, उदयपुर 2- सचिव, कृषि उपज मण्डी (अनाज),उदयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/08/2026 13:42:21

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1962				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)